FORM III

फर्द अहकाम

अज अदालत – सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर मुकाम गंगापुर

........[illegible]........ बनाम ....[illegible]........

किस्म मुकदमा..........प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ......[illegible]...... मु.नं. 84/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2/8/2021	प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ...[illegible]... द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ...[illegible]... के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक ...06.../...08.../...2021... को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा	
6/8/2021	मिसल पेश। पेशकार उप. विपक्षी उप.। जवाब हेतु समय चाहा दिया गया। मिसल वास्ते जवाब विपक्षी हेतु दिनांक 24/8/21 को पेश हो। Rg	
24/8/21	मिसल पेश। पेशकार उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। पेशकार सरकार द्वारा बहस दौरान वादपत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर के आराजी नं. 2353 रकबा 0.34 हे. किस्म बारानी द्वितीय भूमि राजस्व रेकार्ड में अब्दुलवहीद पुत्र अब्दुलगफ्फार खां मुसलमान हिस्सा 1/5 व अन्य खातेदारान के नाम खातेदारी हक में [illegible] दर्ज है। यह कि उक्त [illegible] खातेदारी होकर मौके [illegible] 2353 [illegible] मूर्ती व [illegible] दस नीम के वृक्ष एवं एक करोली का हरा वृक्ष कटा हुआ पाया गया। यह कि खातेदारी भूमि पर लगे हुए नीम के वृक्षों को अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति Rg	[illegible] हेतु [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.23 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

के काट डाले है जिसकी सूचना पर राजस्व कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया जिन्होंने मौके पर पड़े हुए हरे वृक्षों को जब्त किया जाकर वृक्ष कटवाने की कार्यवाही की। उक्त भूमि खा. नं. 2353 में अप्रार्थी स्वयं 1/35 हिस्से का खातेदार है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि पर कुल 10 हरे नीम एवं 01 करोंदी के पेड़ को अप्रार्थी द्वारा काटा गया कुल 11 हरे वृक्षों को जब्त सरकार किया तथा उक्त वृक्षों के खुर्दबुर्द होने की संभावना होने से मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा सिपुर्दगी नहीं लिये जाने से स्वयं अप्रार्थी को उक्त वृक्ष मौतबिरान की उपस्थिति में सिपुर्द किये गये।

यह कि उक्त वर्णित कुल 11 हरे वृक्ष जिनका अनुमानित गीला पत्ता मय लकड़ी वजन सिपुर्दगी 55 क्विंटल एवं अनुमानित कीमत 3000/- रुपये होती है उक्त भूमि पर खड़े वृक्षों को अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के काटे गये है जिससे अप्रार्थी का कृत्य रा. का. अ. 1955 की धारा 84-86 के तहत नियमों के विपरीत है तथा अप्रार्थी द्वारा धारा -84-86 का उल्लंघन किया है।

अतः श्रीमान प्रार्थना है कि वापस स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी पर अधिकतम शास्ति आरोपित की जावे एवं किये गये कृत्य की सख्त सजा फरमाई जावे साथ ही सिपुर्द किये गये वृक्षों की नीलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जुर्माना जमा करवाने हेतु निवेदन किया। मैंने पेशकार [illegible] अप्रार्थी द्वारा जुर्माना स्वीकार करने को [illegible] रेकार्ड का अवलोकन किया [illegible] किया जाता है कि - आदेश -

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.23 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी पेशकार सरकार की वापस अन्तर्गत धारा 84-86 RTA का स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84-86 RTA का उल्लंघन करने पर कुल 11 हरे वृक्षों को काटने पर प्रति वृक्ष 100/- से कुल 1100/- की

Raj

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस इस हुक्म की आगामी मे जारी हुए

शास्ति से दण्डित किया जाता है। एवं काटे गये कुल 11 वृक्षों की लकड़ी की निलामी नियमानुसार तहसीलदार साहब द्वारा की जावे एवं अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि कुल 1100/- अक्षरे एकहजार एक सौ रुपये वसूल कर जरिये जी.ए.-55 रसीद/चालान के राजकोष में जमा करवाने एवं निलाम की गई कुल 11 वृक्षों की नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24/8/2021 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार साहब को पालनार्थ लिखा जावे।

Rg

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.23 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested